

CSIR – HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP
CSIR COMPLEX, LIBRARY AVENUE, PUSA, NEW DELHI – 110 012

No. Advisory/2023-24/EMR I


Date: 11-04-2025

OFFICE MEMORANDUM

Attention is invited to the following issues being faced with regard to the Fellowships/Associateships of the Research Fellows/Associates hosted at various Universities/Institutes/Colleges:

1. Many Research Fellows have not been complying with the timelines for submission of documents towards their upgradation/continuation/extension, as stipulated in the relevant guidelines and are submitting their documents after the lapse of the stipulated timelines.
2. It is clearly mentioned in the CSIR guidelines that prior approval of CSIR is mandatory for transfer of fellowship from one University/Institute/College to another University/Institute/College. Despite these instructions, many Research Fellows have been leaving their PhD programme/CSIR fellowships from their current Institutes without obtaining prior approval of CSIR and have also been joining PhD programmes at other Institutes, that too without prior approval of CSIR. Similarly, the Universities/Institutes/Colleges have been allowing the Fellows to leave the fellowship on transfer without obtaining specific approval from CSIR while also allowing some Fellows to join on transfer without ascertaining that prior approval for transfer has been obtained by the Fellow from CSIR. This is in complete violation of the CSIR norms.
3. Though CSIR guidelines stipulate that the Fellow shall correspond with CSIR only through the Guide with the approval of the Head of the Institution, the Research Fellows have been sending emails to multiple authorities directly, bypassing the prescribed channel of submissions. This action of Fellows too is in violation of the prescribed CSIR norms in this regard.
4. Adequate care is not taken by the Fellows/Checkers/Makers while submitting their joining reports on the New FMS portal, leading to creation of incorrect information in the database. Fellows/Checkers/Makers must make sure that correct information is provided on the portal.
5. No Objection Certificates, wherever required, are not submitted on the letterheads of the Universities/Institutes/Colleges. They must be produced on the letterheads and not on plain papers by the concerned authorities.

All concerned are, therefore, advised to take notice of the above while also complying with the instructions/guidelines on the subject as non-compliance in these matters may lead to adverse consequences including the delay in processing the fellowship claims/termination of fellowships etc.


(Yagnesh R Trivedi)

UNDER SECRETARY, EMR I

Copy to:


1. The Vice Chancellors/Registrars/Directors/Principals of all Universities/Institutes/Colleges through CSIR HRDG website
2. Checker and Makers of all Universities/Institutes/Colleges through CSIR HRDG website with a request to bring the contents of this OM to the notice of the Research Fellows/Associates hosted at their Universities/Institutes/Colleges
3. Sr. Dy. FA, EMR Finance
4. Shri Pankaj Goswami, Deputy Secretary, EMR I
5. All officials of EMR I
6. PS to Head, CSIR HRDG
7. Dr. Manish Bhardwaj, Sr. Principal Scientist & Head, IT with a request to upload this OM on the CSIR HRDG website

कार्यालय ज्ञापन

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में स्थापित शोध अध्येताओं/सहयोगियों की फेलोशिप/एसोसिएटशिप के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है:

1. कई शोध अध्येता प्रासंगिक दिशा-निर्देशों में निर्धारित अनुसार अपने उन्नयन/निरंतरता/विस्तार के लिए दस्तावेज जमा करने की समयसीमा का पालन नहीं कर रहे हैं और निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं।
2. हालांकि सीएसआईआर दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एक विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज से दूसरे विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज में फेलोशिप के हस्तांतरण के लिए सीएसआईआर की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, फिर भी कई शोध अध्येता सीएसआईआर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपने वर्तमान संस्थानों से पीएचडी कार्यक्रम/सीएसआईआर फेलोशिप छोड़ रहे हैं और अन्य संस्थानों में पीएचडी कार्यक्रमों को ज्वाइन कर रहे हैं, वह भी सीएसआईआर की पूर्व स्वीकृति के बिना। इसी तरह, विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज सीएसआईआर से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किए बिना फेलो को स्थानांतरण पर फेलोशिप छोड़ने की अनुमति दे रहे हैं और साथ ही कुछ फेलो को यह सुनिश्चित किए बिना स्थानांतरण पर ज्वाइन करने की अनुमति दे रहे हैं कि फेलो द्वारा सीएसआईआर से स्थानांतरण के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया है। यह सीएसआईआर मानदंडों का पूर्ण उल्लंघन है।
3. यद्यपि सीएसआईआर के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि फेलो को संस्थान के प्रमुख के अनुमोदन से केवल गाइड के माध्यम से ही सीएसआईआर के साथ पत्र-व्यवहार करना होगा, फिर भी शोध फेलो निर्धारित चैनल को दरकिनार करते हुए सीधे ही कई प्राधिकारियों को ईमेल भेज रहे हैं। फेलो की यह कार्रवाई भी इस संबंध में निर्धारित सीएसआईआर मानदंडों का उल्लंघन है।
4. न्यू एफएमएस पोर्टल पर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करते समय फेलो/चेकर्स/मेकर्स द्वारा पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती है, जिसके कारण डेटाबेस में गलत जानकारी बन जाती है। फेलो/चेकर्स/मेकर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोर्टल पर सही जानकारी दी गई है।
5. जहाँ भी आवश्यक हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों के लेटरहेड पर प्रस्तुत नहीं किए जाते। उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि सादे कागज पर।

इसलिए, सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त का ध्यान रखें और साथ ही इस विषय पर निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन भी करें क्योंकि इन मामलों में गैर-अनुपालन से प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, जिसमें फेलोशिप दावों की प्रक्रिया में देरी/फेलोशिप की समाप्ति आदि शामिल हैं।


(यज्ञेश आर त्रिवेदी)
अवर सचिव, ईएमआर।

प्रतिलिपि:

1. सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों के कुलपति/रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्यों को सीएसआईआर एचआरडीजी वेबसाइट के माध्यम से
2. सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों के चेकर्स/मेकर्स को सीएसआईआर एचआरडीजी वेबसाइट के माध्यम से इस ओएम की सामग्री को अपने विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में होस्ट किए गए शोध अध्येताओं/सहयोगियों के ध्यान में लाने के अनुरोध के साथ
3. वरिष्ठ उप। वित्तीय सलाहकार, ईएमआर वित्त
4. श्री पंकज गोस्वामी, उप सचिव, ईएमआर।
6. ईएमआर। के सभी अधिकारी
7. सीएसआईआर एचआरडीजी प्रमुख के निजी सचिव
8. डॉ. मनीष भारद्वाज, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, आईटी को इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर एचआरडीजी वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।